न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 116/2019
GCMSNo.- : 2019/00113

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल जाति– रेगर, निवासी– रेगारों का बास, बलाड़ा तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.)		1. गुलाबराम पुत्र बचनाराम
2. किशोर पुत्र शिवलाल जाति– बावरी, निवासी– कजावा बस्ती पावन धाम के सामने, जैतारण तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.)		2. ढगलाराम पुत्र बचनाराम
3. पदमाराम पुत्र मांगीलाल जाति– मेघवाल, निवासी– अराबा पुरोहितान, तहसील– पचपदरा, जिला– बाड़मेर(राज.)		3. लालाराम पुत्र तेजाराम
		4. नेमीचन्द पुत्र तेजाराम
		5. घासीराम पुत्र तेजाराम
		6. गुलाबी पत्नी तेजाराम
		7. गोरधनराम पुत्र बाबूराम
		8. भुण्डाराम पुत्र बाबुराम
		9. धर्माराम पुत्र बाबुराम
		10. मंजू पुत्री बाबुराम
		11. सैना पुत्री बाबुराम
		12. पूजा पुत्री बाबुराम
		13. प्रेम पत्नी बाबुराम सभी जातियान– बावरी, निवासीगण– फुलमाल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।
		14. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 20/06/2019**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरू चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

दिनॉकः– 30/08/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू.अभि.नि. क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है । जिसे वादपत्र [illegible] माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड सामलाती दर्ज है। जिस [illegible] बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, परन्तु उक्त आराजी [illegible] अपनी सहमति से अलग अलग बांट रखी है, परन्तु राजस्व रेकर्ड उक्त आराजी भी [illegible] दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

वादीगण अपने आराजी में कुआ खुदवाने बिजली कनेक्शन लेने तथा चारो तरफ तारबन्दक लगाने, भूमि को उपजाऊ बनाने, तथा भूमि रुपान्तरण कराने तथा अन्य कोई गतिविधिया करने वादीगण को अनेको प्रकार तकलीप उठानी पड़ रही है। क्योकि जब तक उक्त आराजी का काननू बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर अधिकार होने से विवाद बना रहता है। इसलिए वादीगण का अपने आराजी का कानून बंटवाड़ा करना आवश्यक है। इसलिए वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है । यह है कि उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवाड़ा कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 20.05.2019 को मौखिक निवेदन किया तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी कि वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेगें तथा किसी तरह का काश्त कार्य नहीं करने देगें एवं पशुओं को खुला छोड़ देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मन्सूबो में कामयाब हो जाते तो मौके पर लड़ाई झगड़े होगें विवाद बढ़ेगा तथा वादीगण अपने साम्पतिक हक अधिकारो से महरुम हो जायेगा तथा भविष्य में किसी तरह का काश्त से भी वंचित हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़े का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जिसका कि वादीगण रेकर्डड खातेदारी काश्तकार है एवं वादीगण को अपने हक हिस्से आराजी में काश्त करने पूर्णतया कानूनन अधिकार है, परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण गैरकानूनी रूप से वादीगण की आराजी में कोई हस्तक्षेप या दंखलान्दाजी करते है तो वादीग़ण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ती किसी कदर संभव नहीं है। इसलिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादीगण का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार जैतारण जो कि भूमिवारी राजस्थान सरकार होने से उन्हें इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जबकि इनके विरुद्ध वादीगण को कोई अनुतोष की आवश्यकता नहीं है। बिनाय वाद दिनांक 20.05.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की आरजी से बेदखल करने एवं मौके पर काश्त नहीं करने देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम फूलमाल तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 14 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने मुताबिक भू अभिलेख बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने की [illegible]

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया [illegible] अधिवक्ता वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान) की सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 221 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल जिसका वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 221 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/577 दिनांक 16.06.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5181 दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 221 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	किशोर पुत्र शिवलाल 1/3, कौम बावरी सा. देह जैतारण पदमाराम पुत्र मांगीलाल 1/3 कौम मेघवाल सा. देह 1/3 श्यामलाल पुत्र मांगीलाल कौम रेगर 1/3	221/1	0.8013	बा. अ.	0.50
2.	गुलाबराम पुत्र बचनाराम 19586/102547 रहन एसबीआई जैतारण, गुलाबी पत्नी तेजाराम रहन एसबीआई जैतारण 6911/102547 गोरधन पुत्र बाबूराम 3948/102547 घासीराम पुत्र तेजाराम 6911/102547	[illegible]	10.2547	बा. अ.	6.35

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

6911/102547 ढगलाराम पुत्र बचनाराम 27682/102547 धर्माराम पुत्र बाबूराम 3948/102547 नेमाराम पुत्र तेजाराम 6910/102547 पुजा पुत्री बाबूराम 3948/102547 प्रेम पत्नी बाबूराम 3948/102547 भुण्डाराम पुत्र बाबूराम 3948/102547 मंजु पुत्री बाबूराम 3948/102547 लालाराम पुत्र तेजाराम 6911/102547 सेना पुत्री बाबूराम 3948/102547 कौम बावरी सा. देह					

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण**
बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल जाति- रेगर, निवासी- रेगारों का बास, बलाड़ा तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज.)
2. किशोर पुत्र शिवलाल जाति- बावरी, निवासी- कजावा बस्ती पावन धाम के सामने, जैतारण तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज.)
3. पदमाराम पुत्र मांगीलाल जाति- मेघवाल, निवासी- अराबा पुरोहितान, तहसील- पचपदरा, जिला- बाड़मेर (राज.)

प्रतिवादीगण:

1. गुलाबराम पुत्र बचनाराम
2. कमलाराम पुत्र बचनाराम
3. लालाराम पुत्र तेजाराम
4. नेमीचन्द पुत्र तेजाराम
5. घासीराम पुत्र तेजाराम
6. गुलाबी पत्नी तेजाराम
7. गोरधनराम पुत्र बाबूराम
8. भुण्डाराम पुत्र बाबुराम
9. धर्माराम पुत्र बाबुराम
10. मंजू पुत्री बाबुराम
11. रैना पुत्री बाबुराम
12. पूजा पुत्री बाबुराम
13. प्रेम पत्नी बाबुराम

    सभी जातियान- बावरी, निवासीगण- फुलमाल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।
14. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान)

मु०न० :रा०वा० स०: 116/2019

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व महेन्द्र सिंह बाहरठ, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 221 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:34:53 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत	खसरा	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	किशोर पुत्र शिवलाल 1/3, कौम बावरी सा. देह जैतारण पदमाराम पुत्र मांगीलाल 1/3 कौम मेघवाल सा. देह 1/3 श्यामलाल पुत्र	221/1	0.8013	बा. अ.	0.50

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

	मांगीलाल कौम रेगर 1/3				
2.	गुलाबराम पुत्र बचनाराम 19586/102547 रहन एसबीआई जैतारण, गुलाबी पत्नी तेजाराम 6911/102547 रहन एसबीआई जैतारण, गोरधन पुत्र बाबूराम 3948/102547 घासीराम पुत्र तेजाराम 6911/102547 ढगलाराम पुत्र बचनाराम 27682/102547 धर्माराम पुत्र बाबूराम 3948/102547 नेमाराम पुत्र तेजाराम 6910/102547 पुजा पुत्री बाबूराम 3948/102547 प्रेम पत्नी बाबूराम 3948/102547 भुण्डाराम पुत्र बाबूराम 3948/102547 मंजु पुत्री बाबूराम 3948/102547 लालाराम पुत्र तेजाराम 6911/102547 सेना पुत्री बाबूराम 3948/102547 कौम बावरी सा. देह	221	10.2547	बा. अ.	6.35

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/08/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	08	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजान:–	11	00	मिजान	01	00

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:53 IST
Reason: SelfAttested